

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 881] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939

No. 881] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 988(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में उद्यमों को निम्नलिखित का पक्षकार बनने से छुट देती है—

- (क) प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अर्जन;
- (ख) किसी उद्यम पर किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर, जब ऐसे व्यक्ति का प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट समान या समरूप प्रतिस्थापनीय माल के उत्पादन, वितरण या समान या समरूप प्रतिस्थापनीय सेवा की व्यवस्था संबंधी व्यापार में लगे हुए अन्य उद्यम पर पहले ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण; और
- (ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विलय या समामेलन,

जहां अर्जित की जा रही, नियंत्रण में ली जा रही, विलय या समामेलित की जा रही आस्तियों का मूल्य भारत में 350 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है या भारत में आवर्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए छूट देती है।

2. जहां किसी उद्यम या प्रभाग या कारबार का कोई भाग अन्य उद्यम के साथ अर्जित किया जा रहा है, नियंत्रण में लिया जा रहा है, विलय या समामेलित किया जा रहा है, उक्त भाग या प्रभाग या कारबार की आस्तियों का मूल्य या इसको आरोप्य, सुसंगत आस्तियां और अधिनयम की धारा 5 के अधीन सीमाओं को परिकलित करने के प्रयोजन के लिए लेखे में लिए

1765 GI/2017 (1)

जाने वाला आवर्त होगा। उक्त भाग या प्रभाग या कारबार का मूल्य उद्यम की संपरीक्षित लेखा बिहयों में यथादर्शित आस्तियों के लिखित मूल्य को लेते हुए या कानूनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जहां वित्तीय विवरण दाखिल किए जाने के लिए देय नहीं हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें प्रस्तावित समुच्चय की तारीख आती है, जैसा की किसी अवक्षयण द्वारा घटाया गया है अवधारित किया जाएगा और आस्तियों के मूल्य के अंतर्गत ब्रांड मूल्य, सदभाव का मूल्य, या प्रतिलिप्याधिकार का मूल्य, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिन्ह, रजिस्ट्रीकृत स्वामी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, समध्वनीय भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक लक्षण, डिजाइन या लेआउट डिजाइन, समान अन्य वाणिज्यिक अधिकार यदि कोई हो, जो धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट हैं। उक्त भाग या प्रभाग या कारबार का आवर्त कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरिक्षीत लेखों के आधार पर कानूनी संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित होगा।

[फा. सं. 5/33/2007-सीएस] के. वी. आर. मुर्ति, संयक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017

S.O. 988(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the enterprises being parties to —

- (a) any acquisition referred to in clause (a) of section 5 of the Competition Act;
- (b) acquiring of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over another enterprise engaged in production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable goods or provision of a similar or identical or substitutable service, referred to in clause (b) of section 5 of the Competition Act; and
- (c) any merger or amalgamation, referred to in clause (c) of section 5 of the Competition Act,

where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated is not more than rupees three hundred and fifty crores in India or turnover of not more than rupees one thousand crores in India, from the provisions of section 5 of the said Act for a period of five years from the date of publication of this notification in the official gazette.

2. Where a portion of an enterprise or division or business is being acquired, taken control of, merged or amalgamated with another enterprise, the value of assets of the said portion or division or business and or attributable to it, shall be the relevant assets and turnover to be taken into account for the purpose of calculating the thresholds under section 5 of the Act. The value of the said portion or division or business shall be determined by taking the book value of the assets as shown, in the audited books of accounts of the enterprise or as per statutory auditor's report where the financial statement have not yet become due to be filed, in the financial year immediately preceding the financial year in which the date of the proposed combination falls, as reduced by any depreciation, and the value of assets shall include the brand value, value of goodwill, or value of copyright, patent, permitted use, collective mark, registered proprietor, registered trade mark, registered user, homonymous geographical indication, geographical indications, design or layout-design or similar other commercial rights, if any, referred to in sub-section (5) of section 3. The turnover of the said portion or division or business shall be as certified by the statutory auditor on the basis of the last available audited accounts of the company.

[F. No. 5/33/2007-CS]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 989(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 674(अ), तारीख 4 मार्च, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 4 मार्च, 2016 को प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या किए जाने का लोप किया गया था, विखंडन करती है।

[फा. सं. 5/33/2007-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2017

S.O. 989(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, S.O. 674(E), dated the 4th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th March, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 5/33/2007-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.